न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—567 / 2012 / 223 (2012 / 00022)

1. नन्दपुरी उर्फ नन्दापुरी पुत्र नारायणपुरी, जाति गुंसाई, निवासी साखून, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. मु0 धन्नी बेवा सुमनपुरी,
2. लाली बेवा रोडपुरी,
3. विष्णु पुत्री रोडपुरी,
4. शंभू पुत्र रोडपुरी,
5. पप्पू पुत्र रोडपुरी,

जाति गुसांई, नि0 साखून, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

वादीगण / **रेस्पोडेंटस**

6. लादूपुरी पुत्र कानपुरी, जाति गुंसाई, नि0 साखून, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
7. श्योकरण पुत्र हीरालाल,
8. श्योलाल पुत्र हीरालाल,
9. जयराम पुत्र कल्याण,
10. महराम पुत्र कल्याण,

जाति जाट, नि0 हटुपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 17.5.2011 अंतर्गत वाद संख्या 283 / 2007 .

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी वकील अपीलांट ।
2. श्री हगामीलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. रेखा गोयल, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
4. गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 7 व 8..
5. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 6 व 7.

निर्णय

दिनांकः—01.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में अंकित सजरे के अनुसार विवादित आराजी कानपुरी की थी, कानपुरी के दो पुत्र हुए, नारायणपुरी व लादुपुरी । नारायणपुरी के भी दो पुत्र नन्दापुरी एवं सुगनपुरी हुए लेकिन नारायणपुरी की विरासत अकेले नन्दापुरी ने अपने नाम दर्ज करवा

ली जबकि कुल आराजियात में 1/4 हिस्से के वादीगण खातेदार रहे है। अतः उपरोक्तानुसार वाद डिक्री किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2011 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है । तनकी संख्या 1 के संबंध में वादीगण ने एक भी साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं की थी क्योंकि वादीगण राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि के सहखातेदार नहीं थे तथा न ही किसी प्रकार की साक्ष्य भौतिक कब्जा काश्त बाबत् ही प्रस्तुत की थी । बिना कब्जे काश्त के खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती थी । जबकि वर्ष 1964 से प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट विवादित भूमियों का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज चल आ रहा था । रेस्पो0/वादिया के पति सुगनपुरी ने अपने जीवनकाल में कभी कोई उज्र एवं ऐतराज पेश नहीं किया था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 वादीगण/रेस्पो0 के पक्ष में निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि प्रदर्श 4 नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 6.6.1964 को जो खोला गया था जिसकी पुस्त पर स्पष्ट अंकित है कि पंचायत सर्व सम्मति से नारायण पुरी की फौती पर उसके उत्तराधिकारी नन्दापुरी पुत्र नारायणपुरी गुंसाई के नाम खातेदारी कुर्सीनामा के अनुसार स्वीकार करती है । जब नामांतकरण संख्या 326 दिनांक 6.6.1964 प्रदर्श 4 पारित हुआ उस वक्त अपीलांट हाजिर था या नहीं यह कहीं पर सिद्ध नहीं है परन्तु अधी0न्याया0 ने मात्र संभावनाआं के आधार पर कि अपीलांट ने स्वंय हाजिर होकर नामांतकरण भरवाया गया जो संदेहास्पद है इस कारण अपील अपीलांट खारिज की जावे । इसके जवाब में वकील रेस्पो0 का कथन है कि उक्त नामांतकरण के बाद काफी वर्षो तक सुगनपुरी जीवित रहा यदि उक्त नामांतकरण गलत होता तो वह अवश्य उसे चुनौती देते जो नहीं दी गई। अधी0न्याया0 ने इन तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 का निर्णय भी गलत पारित किया है क्योंकि जिस प्रकार प्रदर्श 1 दिनांक 6.12.1979 सादे कागज पर लिखी हुई है तथा किसी भी प्रकार के गवाहों से सिद्ध नहीं थी न ही स्टाम्प पेपर पर थी न ही रजिस्टर्ड थी जबकि न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी लिखावट जिससे किसी प्रकार का हक, अधिकार किसी को प्राप्त होता है तो उसका अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड होना जरूरी है जबकि वादी स्वंय यह मानता है कि उक्त लिखावट न तो फेमिली सेटलमेंट है और न ही इकरारनामा है । इस संबंध में अधी0न्याया0 का निष्कर्ष कि ऐसी लिखावट का मेरी राय में पंजीयन होना अनिवार्य नहीं है विधिसंगत नहीं माना जा सकता है।

5. बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रदर्श 5 विकय पत्र जो प्रतिवादी/अपीलांट नन्दपुरी ने प्रफोर्मा रेस्पो0 श्योकरण पुत्र हीरालाल जाट को दिनांक 1.10.1986 को करवाया तब दावा विचाराधीन था तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादिया धन्नी से राजीनामा कर लिया तथा उसके हिस्से के आधे रूपये उक्त बयनामा करवा कर दिये जिसका पुख्ता सबूत बेयनामा का स्टाम्प प्रदर्श 5 की पुस्त पर दर्ज है जिसकी तरफ अधी0न्याया0 ने ध्यान नहीं दिया ।

अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने सभी खातेदारों को प्रतिवादी बनाया परन्तु उनके खिलाफ किसी प्रकार कर अनुतोष नहीं चाहा यानि बंटवारा का अनुतोष नहीं चाहा एवं न ही बेदखली का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर मात्र कयासों के आधार पर वाद डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट काफी वृद्ध है तथा चलने फिरने, देखने, सुनने में असमर्थ है तथा प्रार्थी 75 वर्ष का वृद्ध है जो अपने अधिवक्ता के भरोसे रहा तथा अंतिम बयान देने के बाद अपने पुत्र गणेश के पास आसनपुर जोबनेर चला गया था इस वजह से निर्णय की जानकारी नही हो सकी थी । दिनांक 27.7.2012 को प्रार्थी अपने पुत्र गणेश के साथ गांव आया तथा खेती बाड़ी हेतु तैयार करवाने लगा तो विपक्षीगण द्वारा मौके पर आकर निर्णय की बात बताई तब प्रार्थी ने पटवारी हल्का से जमाबदी की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई कि नामांतकरण संख्या 279 दिनांक 30.6.2011 को डिक्री से संपूर्ण खाते पर विपक्षीगण का नाम दर्ज हो चुका है । तब प्रार्थी अपने वकील से मिला एवं निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने कथन किया कि अपीलांटस ने अपील मियाद बाहर पेश की है तथा विलंब के संतोषप्रद कारण भी अंकित नहीं किये है । विवादित आराजियात में अपीलांट का 1/4 हिस्सा ही था । अपीलांट आराजी खसरा नंबर 1033 में से अपनो 1/4 हिस्से यानि 14 बीघा डेढ बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को विक्रय कर चुका है और विक्रय की राशि अकेले ने प्राप्त की है तथा आराजी खसरा नंबर 1033 में से 1/2 हिस्सा की जमीन प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को विक्रय की तथा प्रतिवादी संख्या 2 खसरा नंबर 1034 व 1035 कुल रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा में से 1/2 हिस्से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर चुके है तथा विक्रय की राशि अकेले ने प्राप्त की है। विवादित आराजियात में रेस्पो0 का 1/4 हिस्सा बदस्तूर है जिस पर काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 परिवार के बड़े सदस्य होने के कारण संपूर्ण आराजी की खातेदारी अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम करवा ली जबकि वादीगण/रेस्पो0 का विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा है । अपीलांट द्वारा रेस्पो0 को विवादित आराजियात से बेदखल करने पर रेस्पो0 द्वारा गांव के पंचों को इकट्ठा किया तो प्रतिवादी/अपीलांट ने एक लिखावट वादीगण/रेस्पो0 को लिखकर दी कि जो जमीन अलग है वो रेस्पो0 की रहेगी, उसमें मेरा हिस्सा नहीं है तथा मेरे नाम जो जमीन है उसमें वादीगण/रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा रहेगा और जब वह कहेगा तब राजी–खुशी नाम लगवा दूंगा । उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों से वादी/रेस्पो0 का वाद बखूबी साबित था । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन विश्लेष्ण कर वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे

सद्भाविक एवं उचित प्रतीत होते है । हम न्यायाहित में प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना उचित समझते है। अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के द्वारा यह कथन करते हुए वाद प्रस्तुत किया कि अपीलाधीन भूमि में आधे हिस्से के खातेदार नन्दापुरी व सुगनपुरी थे शेष आधे हिस्से के खातेदार लादूपुरी रहे । सुगनपुरी का स्वर्गवास हो गया, सुगनपुरी के वारिस रेस्पो0 संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 2 के पति एवं रेस्पो0 संख्या 3 से 5 के पिता रोडपुरी रहे । रोडपुरी का स्वर्गवास होने से उनके वारिसान रेस्पो0 संख्या 2 से 5 है परन्तु राजस्व अभिलेख में सुगनपुरी को गलत गोद दर्शाते हुए अपीलाधीन भूमि अकेले नन्दपुरी ने अपने नाम करवा ली एवं गलत नामांतकरण तस्दीक करा लिया इस कारण अपीलाधीन भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी नन्दपुरी ने कथन किया कि सुगनपुरी भींवपुरी के गोद चला गया इस कारण अपीलाधीन भूमि में सुगनपुरी का कोई हक व अधिकार नहीं रहा । अधी0न्याया0 द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन भूमि में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है । दौराने बहस अपीलांट द्वारा कथनों को दोहराते हुए मुख्य तर्क यह रहा है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रदर्श–4 नामांतकरण संख्या 326 प्रस्तुत किया गया था जिसकी पुस्त पर सुगनपुरी को स्पष्टतया ''गोद गया भींवपुरी'' दर्ज है यह प्रदर्श–4 नामांतकरण ग्राम पंचायत ने पंचायत में स्वीकृत किया है तथा सुगनपुरी द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी इस नामांतकरण का विरोध नहीं किया गया तथा अपीलाधीन भूमि में कभी भी अपने हिस्से की मांग नहीं की गई क्योंकि सुगनपुरी जानता था कि वो भींवपुरी का गोदपुत्र है । उपरोक्त प्रदर्श–4 के संबंध में रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन है कि सुगनपुरी की बिना सहमति लिये स्वंय नन्दपुरी द्वारा उसके कहे अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण संख्या 326 स्वीकृत किया गया है तथा इस नामांतकरण के आधार पर सुगनपुरी के हक व अधिकार समाप्त नहीं होते है । अधी0न्याया0 द्वारा भी अपने निर्णय में उक्त कथन स्वीकार किये है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध एक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श–ए–6 के खतौनी नंबर 311 ग्राम साखून, तह0 दूदू में सुगनपुरी पुत्र भंवरपुरी गुंसाई सा0देह एवं नामांतकरण संख्या 1211 दिनांक 11.10.1977 के अनुसार सुगनपुरी की विरासत रोडपुरी पुत्र सुगनपुरी के नाम दर्ज हुई है । इस संबंध में अधी0न्याया0 ने यह अंकित किया है कि यह आवंटनशुदा भूमि है तथा स्वंय नंदपुरी ने जानबूझकर सुगनपुरी की वल्दियत भंवरपुरी दर्ज कराई है। इस निष्कर्ष के साथ अधी0न्याया0 द्वारा प्रदर्श ए–6 महत्वपूर्ण जमाबंदी को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रदर्श ए–6 जमाबंदी को सुगनपुरी द्वारा अथवा रेस्पो0 रोडपुरी द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई तथा भूराजस्व अधि0 की धारा 140 के तहत जमाबंदी रिकार्ड ऑफ राईट है तथा जिसके सत्य होने की उपधारणा की जाती है, जब तक उसको चुनौती नहीं दी जाये । इस प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रदर्श ए–6 को रेस्पो0 द्वारा अथवा सुगनपुरी द्वारा चुनौती दिया जाना जाहिर नहीं होता है ।

10. प्रकरण में विचारणीय बिन्दू यह भी है कि प्रदर्श ए–6 जमाबंदी में सुगनपुरी की वल्दियत भंवरपुरी अंकित कर रखी है तथा नामांतकरण संख्या 326 प्रदर्श 4 में सुगनपुरी की वल्दियत भींवपुरी की अंकित की हुई है । पत्रावली पर इस आशय की कोई भी साक्ष्य अधी0न्याया0 द्वारा नहीं ली गई है कि भंवरपुरी व भींवपुरी एक ही व्यक्ति थे अथवा अलग–अलग

व्यक्ति थे । यदि भंवरपुरी एवं भींवपुरी एक ही व्यक्ति थे तो सुगनपुरी भींवपुरी के गोद जाना प्रथमदृष्टया प्रमाणित हो जाता है तथा यदि यह तथ्य सिद्ध हो जाता है तो अपीलाधीन भूमि में रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का कोई भी हक व अधिकार नहीं रहता है।

11. अधी0न्याया0 द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलाधीन भूमि पर सुगनपुरी अथवा उनके वारिसान रेस्पो0 का वास्तविक कब्जा काश्त रहा है अथवा नहीं । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना कब्जे के घोषणात्मक वाद पोषणीय नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय में इस संबंध में कोई विवेचन नहीं किया है ।

12. उपरोक्त विवेचन से अधी0न्याया0 द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांकित 17.5.2011 में तनकी संख्या 1 व 5 का विवेचन कर जो निष्कर्ष निकाले गये है वह विधिसम्मत् नहीं माने जा सकते है तथा इन मुख्य तनकियों संख्या 1 व 5 के आधार पर अन्य तनकियात संख्या 2, 3, 4 व 6 पर अधी0न्याया0 द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है वह भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

13. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं होने से यथावत् नहीं रखी जा सकती है तथा इसी कारण निरस्तनीय होकर उपर वर्णित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पायी जाती है ।

14. अस्तु अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.5.2011 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निर्णय में दिये गये उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विवेचन कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

15. निर्णय आज दिनांक01.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर